न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 81/2022 G.C.M.S. No. 2022/319 दर्ज दिनांक : 11.11.2022

अपीलार्थिगण:

1. लालाराम उर्फ ललीत कुमार पुत्र चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, उम्र 51 वर्ष, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली।
2. मृत अलुड़ी पत्नि श्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 2/1 जसीया देवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी पत्नि सोनारामजी, जाति भाट, उम्र 57 वर्ष निवासी 282, भांबियों का बास, मण्डली खुर्द तहसील व जिला पाली।
   - 2/2 शांतिदेवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी पत्नि मांगीलालजी, उम्र 53 वर्ष, जाति भाट निवासी 307, सुभाष नगर बी, पाली।
   - 2/3 कन्या पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी, पत्नि पोलारामजी, उम्र 50 वर्ष, जाति भाट, निवासी संतोषपुरा, मसूरीया जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनोहर रामावत पुत्र श्री तुलसीदासजी रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
2. किरण रामावत, पत्नी मनोहर रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
3. पारसमल पुत्र ताराचंदजी, जाति जैन, उम्र बालिग, निवासी 45 बालियों का बास, पाली।
4. मृत जीवा पुत्र सुरता, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील पाली जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 4/1 देवाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली
   - 4/2 घीसाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग
   - 4/3 सूजाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जातिगण भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/4 उगीया देवी, पुत्री जीवा जी पत्नि मिश्रीलालजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी हाथलाई तहसील व जिला पाली।
   - 4/5 मूलीदेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि वाघारामजी, जाति भाट, निवासी आकेली, तहसील व जिला पाली।
   - 4/6 सीतादेवी पुत्री जीवा जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/7 कन्यादेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि नारायण जी, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली हाल निवासी रामासिया, तहसील व जिला पाली।
5. समंदरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. राजुनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
7. जवाहरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
8. हडमान पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग, जातिगण नाथ, निवासीगण विजय आदर्श स्कूल के पास, उतवण, तहसील व जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.11.2022

पैरोकार –

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, श्री अर्जुनकुमार राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 12.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण ने योग्य अधिन न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम उतवण पटवार क्षेत्र बोमदडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैरवा तहसील पाली जिला पाली के खसरा संख्या 452 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा और खसरा संख्या 453 रकबा 46 बीघा 08 बिस्वा के बंटवाडें का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश और दिनांक 23.08.2022 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित की। जिसकी अपीलार्थीगण को जानकारी होते ही अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 04.10.2022 को प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने हेतु समय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका आज दिन तक निस्तारण नही किया। तत्पश्चात दिनांक 07.10.2022 को अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 एवं नियम 13 एवं धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र योग्य अधिन न्यायालय ने दिनांक 07.11.2022 को खारिज किया। तब दिनांक 07.11.2022 को अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 05 (2) एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया और अपील न्यायालय से उचित आदेश और स्थगन आदेश प्राप्त कर पेश करने हेतु समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

चाहा और तब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु निवेदन किया। दिनांक 08.11.2022 को अवकाश था, दिनांक 09.11.2022 को भी कोई आदेश पारित नहीं किया। दिनांक 10.11.2022 को पता चला कि प्रार्थना पत्र भी बेक डेट में दिनांक 07.11.2022 को ही खारिज करना बताया एवं दिनांक 07.11.2022 को ही अपीलाधिन डिक्री पारित कर पत्रावली फैसल शुमार करने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि योग्य अधिन न्यायालय ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार जो अंतिम डिक्री पारित की और उसमें अपीलार्थीगण को जो 452 पार्ट–सी हिस्सा देना बताया है, उसमें सम्पूर्ण बंटवाडा प्रस्ताव में आने–जाने का कोई रास्ता ही नहीं दर्ज किया और उक्त बंटवाडा प्रस्ताव में अन्य लोगों को जो जमीन प्रदान की गई, उसमें प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/7 और 5 से 8 को खसरा नम्बर 445/3 रास्ते के चिपते सम्पूर्ण भूमि दे दी गई और अन्य पक्षकारों को भी मौके पर जो प्लान कटे हुए थें और उन प्लान में से जो रास्ते उन अन्य पक्षकारों को दी गई जमीन तक आते है वे हिस्से उन्हें दे दिये गये। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर तक नहीं दिया गया और प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलार्थीगण को आपत्तिया प्रस्तुत करने का अवसर तक नहीं दिया गया और सभी कीमती जमीने अन्य पक्षकारों को दे दी गई और विधि की सुस्थापित प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपीलाधिन डिक्री पारित कर दी गई। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव में जो स्थिति दर्ज की वह स्थिति मौके की सही स्थिति से बिल्कुल भिन्न है, मौके पर खैरवा रोड़ के चिपते ओगडपुरी वगैरह की जमीन है, उसके पास में किरण एवं मनोहर रामावत की जमीन है, उसके पास में बालचंद जैन की जमीन है और उसके पास में रास्ता है और रास्ते के पास मे दयानंद नगर का स्वीकृतशुदा, पट्टाशुदा प्लान है। ओगडपुरी, किरण, मनोहर, बालचंद के दक्षिण में वादग्रस्त भूमि है जिसके पश्चिम में खसरा नम्बर 445/3 का रिकॉर्डेड आकेली जाने वाला रास्ता है और दक्षिण में अरिहंत नगर के नाम से प्लान बसा हुआ है जो किसी भी रूप में प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है। इस कारण अपीलाधिन डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2022 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री द्वारा निर्णित किया गया तथा दिनांक 07.11.2022 को अंतिम डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत की।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलमीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/7 के अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के अधिवक्ता श्री भरत उपाध्याय तथा सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमती भार्गवी सान्दू उपस्थित नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में उपस्थिति दर्ज की गई हैं। अतः अपील अपीलांट काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रथम तो प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/7, 5 से 8 के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की ओर से या इनके पक्षकार की ओर से इस संबंध में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में अपीलांट का आक्षेप आधारहीन व अस्वीकार्य है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट लालाराम को दिनांक 26.09.2022 को सूचित कर न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री बाबत मौके पर बंटवाड़ें की कार्यवाही रिपोर्ट किये जाने के लिए मौके पर आने बाबत सूचित करने पर उसे निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, से स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित भी किया गया। मौका फर्द एवं विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी व प्रतिवादी को सूचित किया गया तथा बावजूद सूचना के प्रतिवादी लालाराम, जसीया देवी, शांतिदेवी, कन्या पुत्रियां चुना व पारसमल मौके पर उपस्थित नहीं रहें। लालाराम के प्रतिनिधि पुत्र दिनेश मौके पर उपस्थित रहा। जिसने हस्ताक्षर करने से मना किया। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलांट्स को बखूबी सूचित किया गया। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तहसीलदार

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा बनाया गया है। अतः इस संबंध में अपीलांट्स की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं।

3. विभाजन के प्रकरणों में विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री के मुताबिक मौके पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की अनुपालना में तैयार किया जाना होता है। चूंकि प्राथमिक डिक्री मुताबिक राजीनामा व कब्जाकाश्त को ध्यान में रखते हुए हिस्सेनुसार बाई मिट्स व बाउण्ड्स तैयार किये जाने से संबंधित है। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री के अनुरूप ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। साथ ही चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स के अधिवक्तागण की उपस्थिति में पारित किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को बखूबी सूचित किया गया है। अतः अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने का आक्षेप निराधार व अस्वीकार्य है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स अपील को बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.11.2022 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली